रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 1987/चैत्र 23, 1909
No. 199] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1987/CHAITRA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं. 168/87—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 400 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर, कि लोकहित

में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 474/86—सीमाशुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक पैरा में "जिसकी बल्क डेनसटी 3.20 ग्राम/सी. सी. से कम हो" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या ऐसा मृत तापित मैंगनीशिया जिसमें मैगनिशिया आक्साइड 92% से कम हो और सीलिका कन्टैन्ट भार से 3.5% से अधिक न हो" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

[फ़ा. सं. 355/270/85-सी. शु. 1]
टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th April, 1987

NOTIFICATION

No. 168/87-CUSTOMS

G.S.R. 400 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 474/86-Customs, dated the 28th November, 1986, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, after the words, figures and letters "bulk density not less than 3.20 gm/c.c." the words, figures and letters "or dead burnt magnesite having magnesium oxide not less than 92 per cent and silica content not more than 3.5per cent" shall be inserted.

[F. No. 355/270/85-Cus.I]
T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987